

**GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE  
DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**

**LOK SABHA  
UNSTARRED QUESTION NO. 935  
TO BE ANSWERED ON 25<sup>TH</sup> JULY, 2025**

**DELAY IN DISTRIBUTION OF MEDICINES IN CGHS WELLNESS CENTRES**

**935. SHRI JAI PRAKASH:**

Will the **Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE** be pleased to state:

- (a) whether the Government has received any representations from the CGHS beneficiaries with regard to inordinate delay by the CGHS wellness centres in procuring medicines causing problems to the CGHS beneficiaries especially senior citizens;
- (b) if so, the details of the steps being taken by the Government to mitigate their problems;
- (c) whether the Government has prescribed any time-limit for procurement of medicines for distribution through CGHS wellness Centres to the patients; and
- (d) if so, the details thereof?

**ANSWER  
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND  
FAMILY WELFARE  
(SHRI PRATAPRAO JADHAV)**

(a) to (d) The Government had received representations from CGHS beneficiaries regarding inordinate delays in the procurement and supply of medicines by CGHS Wellness Centers, which has caused problems to the CGHS beneficiaries. To mitigate these problems, the Government has taken various steps which includes introduction of new application developed by C-DAC, that comprises functionalities to monitor and analyse the demand trends, procurement, and supply of medicines at CGHS Wellness Centres. This digital system is expected to enhance the timely and accurate availability and distribution of medicines, thereby improving service delivery to the beneficiaries.

The Government has prescribed time-bound procedures for the procurement and distribution of medicines through CGHS Wellness Centres. The details are as follows:

- (i) Routine Medicines: CGHS Wellness Centres procure routines medicines from Medical Store Organisations (MSO)/Government Medical Store Depots (GMSD), which are supplied through CGHS Medical Store Depots (MSDs). Additionally, Jan Aushadhi Medicines are procured separately under the Pradhan Mantri Jan Aushadhi Yojana Kendra (PMJAYK). The demand for Jan Aushadhi medicines is compiled on a monthly basis at the Wellness Centre level and forwarded to the respective Additional Director (AD) zone for procurement through PMJAYK.

- (ii) Delhi-NCR Schedule: For the Delhi-NCR region, the schedule of supplies of MSO drugs from the MSD to the Wellness Centres is shared with all Additional Director (AD) zones and respective centres. Each CGHS Wellness Centre receives a supply of medicines once every 35 days as per this schedule.
- (iii) Restricted Medicines: These are procured on a case-to-case basis upon the prescription of the treating specialist. For beneficiaries in Delhi, such medicines are supplied directly from MSD Delhi. For NCR beneficiaries, they are supplied through designated nodal Wellness Centres.
- (iv) These restricted medicines are procured directly from the manufacturer and are typically supplied on the next working day from MSD for Delhi-based beneficiaries, and within 3 to 4 working days for NCR residents via the nodal Wellness Centres. Occasionally, delays in the supply of restricted medicines may occur due to supply chain or logistical issues, as they are procured directly from manufacturers on a case-to-case basis.

Further, available medicines at Wellness Centre are distributed to beneficiaries on the same day and in case, a medicine prescribed by a specialist is not available in Wellness Center, the same is indented through Authorized Local Chemists who supplies the medicines within 48 hours, failing which penalty is imposed, in terms of Memorandum of Agreement signed with Local Chemist.

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या: 935  
25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सीजीएचएस स्वास्थ्य केन्द्रों में औषधियों के वितरण में विलंब

935. श्री जय प्रकाशः

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के लाभार्थियों, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों की ओर से सीजीएचएस स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा औषधियों की खरीद में अत्यधिक विलंब के कारण होने वाली समस्याओं के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;
- (ख) यदि हां, तो उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का व्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने सीजीएचएस स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से रोगियों को वितरित की जाने वाली औषधियों की खरीद के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): सरकार को केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) आरोग्य केन्द्रों द्वारा सीजीएचएस लाभार्थियों से औषधियों की खरीद एवं आपूर्ति में अत्यधिक विलंब के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिसके कारण उन्हें समस्या का सामना करना पड़ा है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें सी-डैक द्वारा विकसित नए एप्लिकेशन की शुरुआत के साथ-साथ सीजीएचएस आरोग्य केन्द्रों में मांग की प्रवृत्तियों, औषधियों की खरीद और आपूर्ति की निगरानी और विशेषण करने की कार्य-विधियां शामिल हैं। इस डिजिटल प्रणाली से औषधियों की समय पर तथा उपलब्धता और वितरण में वृद्धि होने की अपेक्षा की जाती है, जिससे लाभार्थियों को सेवा प्रदान करने में सुधार होगा।

सरकार ने केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना आरोग्य केन्द्रों के माध्यम से औषधियों के प्राप्ति और वितरण के लिए समयबद्ध प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं, जिसका विवरण इस प्रकार है:

- i. **नियमित दवाएं:** सीजीएचएस आरोग्य केंद्रों, केन्द्रीय सरकार चिकित्सा भंडार संगठनों (एमएसओ)/सरकारी चिकित्सा भंडार डिपो (जीएमएसडी) से नियमित रूप से उपयोग की जाने वाली औषधियों का प्रापण करती हैं, जिनकी आपूर्ति केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के तहत मेडिकल स्टोर डिपो (एमएसडी) के माध्यम से की जाती है। इसके अतिरिक्त, जन औषधि दवाओं को प्रधानमंत्री जन औषधि योजना केंद्र (पीएमजे एवाईके) के तहत अलग से खरीदा जाता है। जन औषधि दवाओं की मांगों का संकलन मासिक आधार पर आरोग्य केंद्रों के स्तर पर किया जाता है और पीएमजे एवाईके के माध्यम से प्रापण के लिए संबंधित जोन के अपर निदेशक (एडी) को भेजा जाता है।
- ii. **दिल्ली-एनसीआर अनुसूची:** दिल्ली-एनसीआर ज़ोन के लिए, एमएसडी से आरोग्य केंद्रों तक एमएसओ औषधियों की आपूर्ति की अनुसूची सभी जोन के अपर निदेशक (एडी) और संबंधित केंद्रों के साथ साझा की जाती है। इस अनुसूची के अनुसार प्रत्येक सीजीएचएस आरोग्य केंद्र हर 35 दिनों में एक बार औषधियों की आपूर्ति प्राप्त करता है।
- iii. **प्रतिबंधित औषधियां:** इन औषधियों का प्रापण विशेषज्ञ चिकित्सकों के पर्वे के अनुसार मामला-दर-मामला आधार पर किया जाता है। दिल्ली में लाभार्थियों के लिए ऐसी औषधियों की आपूर्ति सीधे एमएसडी दिल्ली से की जाती है। एनसीआर लाभार्थियों के लिए इनकी आपूर्ति नामित नोडल आरोग्य केंद्रों के माध्यम से की जाती है।
- iv. इन प्रतिबंधित औषधियों का प्रापण सीधे विनिर्माता से किया जाता है और सामान्य तौर पर दिल्ली स्थित लाभार्थियों के लिए एमएसडी से अगले कार्य दिवस पर आपूर्ति की जाती है और एनसीआर निवासियों के लिए नोडल आरोग्य केंद्रों के माध्यम से 3 से 4 कार्य दिवसों के भीतर आपूर्ति की जाती है। कभी-कभी, प्रतिबंधित औषधियों की आपूर्ति में देरी आपूर्ति शृंखला या लॉजिस्टिक मुद्दों के कारण हो सकती है, क्योंकि उनका प्रापण मामला-दर-मामला आधार पर सीधे तौर पर विनिर्माताओं से किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, आरोग्य केंद्रों पर उपलब्ध औषधियां लाभार्थियों को उसी दिन वितरित की जाती हैं और यदि किसी विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा लिखी गई औषधि आरोग्य केन्द्र में उपलब्ध नहीं होती है तो उसे प्राधिकृत स्थानीय केमिस्टों के माध्यम से इंडेंट किया जाता है जो 48 घंटे के भीतर औषधियों की आपूर्ति करते हैं और ऐसा न करने पर स्थानीय केमिस्ट के साथ हस्ताक्षरित करार ज्ञापन के अनुसार उन पर जुर्माना लगाया जाता है।

\*\*\*\*\*